


आदेश

हल्का पखारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात् तहसील
फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात् ग्राम सुल्तानिया के ख
संख्या 168, 170 के ख. नं. 262/3, 271/1, 414/2, 415/2, 419/2, 412
806/498 में आवेदन पत्र अनुसार रामकुमार पुत्र गोगथा व रामकुमार
गोपी के स्थान पर रामकुमार पुत्र गोपी शुद्धि किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं तहसीलदार फागी को प्रति भेजकर लेख है कि यदि किसी
अन्य न्यायालय का स्वगत अथवा पाठ विचाराधीन नहीं होने की जांच
कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश आज ग्राम पंचायत
सुल्तानिया में दिनांक 19/5/25 को मजमे आम में सुनाया गया।



19/5/25

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

फागी, जिला (जयपुर)